न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 65/2023

1 श्रीमती शांति देवी आयु 74 साल पुत्री फतहेसिंह जाति जाट निवासी ग्राम भोड़की तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू।

अपीलांट्स

बनाम

1 सुरेन्द्र सिंह पुत्र सुमेर सिंह
2 अजीत सिंह पुत्र आसु सिंह
3 आनन्द कंवर पुत्री आसु सिंह
4 गजेन्द्र सिंह पुत्र आसु सिंह
5 गुलाब कंवर स्त्री सुमेर सिंह
6 जयदेव सिंह पुत्र गोपाल सिंह
7 जया कंवर पुत्री गोपाल सिंह
8 टिंकु कंवर स्त्री सुरेन्द्र सिंह
9 दुर्गा कंवर पुत्री आसु सिंह
10 फुला कंवर स्त्री आसु सिंह
11 मोहन सिंह पुत्र आसु सिंह
12 गजेन्द्र सिंह पुत्र सुमेर सिंह
13 राजेन्द्र सिंह पुत्र सुमेर सिंह
14 सरोज कंवर स्त्री गोपाल सिंह
15 शोभा कंवर स्त्री आसुसिंह
जाति समस्त राजपूत निवासीगण ग्राम धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
16 तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

17 उप पंजीयक उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
18 उप पंजीयक, गुढ़ा गौड़जी जिला झुन्झूनू।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ आदेश/निर्णय दिनांक 31.03.2023 अदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू मुकदमा उनवानी सुरेन्द्र सिंह बनाम अजीत सिंह मु.नं. 43/2023 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 27.9.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 43/2023 में पारित निर्णय दिनांक 31.03.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 1347 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन कुआ, खसरा नम्बर 1348 रकबा 3.67 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम धमोरा में स्थित है। उक्त जमीन के बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 सुरेन्द्र सिंह ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र पेश किया जिसके साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जिसमें विचारण न्यायालय ने दिनांक 31.03.2023 को विचाराधीन निर्णय पारित किया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 से 4 व 6 एवं 7 तथा 9 से 11 एवं 13 व 14 ने उक्त जमीन में से अपने सम्पूर्ण हक हिस्सा की जमीन जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 01.03.2023 के माध्यम से अपीलान्ट को विक्रय कर अपीलान्ट के हक में उप पंजीयक कार्यालय उयपुरवाटी के यहां पत्र पंजीबद्ध करवा दिया तथा विक्रय पत्र के मुताबिक अपीलान्ट के हक में नामान्तकरण संख्या 2483 दिनांक 09.03.2023 को स्वीकृत हो गया। इस प्रकार अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में दिनांक 09.03.2023 को आ चुका था तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष दावा दिनांक 29.03.2023 को पेश किया है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को जानबुझकर पक्षकार नहीं बनाया जबकि कानून से वाद पत्र में सभी रिकार्डेड आवश्यक पक्षकार होते है। इस प्रकार आलौच्य निर्णय अपीलान्ट की पीठ पीछे पारित किया गया है। जो खारिज होने योग्य है। कानून से एक खातेदार अपने हक हिस्सा की जमीन को विक्रय कर सकता है एक रिकार्डेड खातेदार को उसके हक हिस्सा की जमीन के फुट्स, लाभ, ऋण, विक्रय से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अपीलानट को उक्त जमीन मे अपने 1/4 हक हिस्सा की जमीन विक्रय करने की हद तक विचाराधीन निर्णय दिनांक 31.03.2023

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

प्रभावहीन किया जाना आवश्यक है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट को प्रकरण में जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया जबकि प्रकरण दायरी से पूर्व से ही अपीलान्ट दिनांक 09.03.2023 से उक्त जमीन में से 1/4 हक हिस्सा की जमीन की रिकार्डेड सहखातेदार रही है। अपीलान्ट उपरोक्त कारण से प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थी। इस प्रकार विचाराधीन निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है इस कारण अपीलान्ट विचाराधीन निर्णय से प्रभावित है। इस कारण अपीलान्ट को अपील पेश करने की इजाजत दिया जाना आवश्यक है इजाजत हेतु धारा 96 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारों के मध्य धारा 212 का आवेदन विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर निर्णित किया जाना शेष है। प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय के अंतिम निर्णय से पूर्व अंतरिम स्थगन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)